

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड**

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

CIN: U40108CT2003SGC015821



कमांक 21-14/वरि.क.अ./ 27


कोरबा पश्चिम, दिनांक 01 APR 2026

—:परिपत्र:—

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की दरों को 01.04.2026 से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्रमांक	श्रेणी	वेतन प्रतिदिवस	वेतन प्रतिमाह
01	अकुशल (Un Skilled)	439/-	11402/-
02	अर्द्धकुशल (Semi Skilled)	464/-	12052/-
03	कुशल (Skilled)	494/-	12832/-
04	उच्च कुशल (High Skilled)	524/-	13612/-

उपरोक्त न्यूनतम वेतन दर 31.10.2026 तक प्रभावशील है। कृपया श्रमिकों का बैंक खातों के माध्यम से माह के 10 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करवाये जाने का अनुरोध है।


वरिष्ठ कल्याण अधिकारी
छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड
कोरबा-पश्चिम

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (उत्पादन) छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.कोरबा पश्चिम।
2. अति.मुख्य अभियंता (.....) छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.कोरबा पश्चिम।
3. परियोजना प्रबंधक 2x660 मे.वा.विस्तार परियोजना, छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.कोरबा पश्चिम।
4. अधीक्षण यंत्री (.....) छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.कोरबा पश्चिम।
5. अति.मुख्य चिकित्साधिकारी, छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.कोरबा पश्चिम।
6. उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी,छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.कोरबा पश्चिम।
7. कार्यपालन यंत्री (.....) छ.स्टे.पा.जं.कं.लिमिटेड.,कोरबा पश्चिम।
8. समस्त सूचना पटल कोरबा-पश्चिम।